न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी
(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 02 / 2024(पुरानी–60 / 2023)
प्रविष्टि दिनांकः– 13.03.2024(पुरानी–26.06.2023)
निर्णय दिनांक :– 10.06.2024

::–उनवान–::

1. श्री सत्यनारायण गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री पदम कुमार जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन निवासी कल्याण जी का चौक टोडारायसिंह जिला केकड़ी विकेता मैसर्स गोपाल किराणा स्टोर, बत्तीसी बाजार टोडारायसिंह जिला केकड़ी।
2. श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री हरकचंद जैन निवासी कल्याण जी का चौक टोडारायसिंह जिला केकड़ी प्रोपरायटर मैसर्स गोपाल किराणा स्टोर, बत्तीसी बाजार टोडारायसिंह जिला केकड़ी।
3. मैसर्स गोपाल किराणा स्टोर, बत्तीसी बाजार टोडारायसिंह जिला केकड़ी।
4. श्री पंकज पोपटानी पुत्र श्री दयानन्द पोपटानी निवासी वार्ड नं. 16 तेली मोहल्ला कटला मस्जिद के पास केकड़ी जिला केकड़ी प्रोपरायटर मैसर्स किशन फ्लोर मिल नाई खेड़ा रोड़ केकड़ी जिला केकड़ी।
5. मैसर्स किशन फ्लोर मिल नाई खेडा रोड़ केकड़ी जिला केकड़ी।

– अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थिति :
(1) पेरोकार सरकार उपस्थित।
(2) विपक्षीगण पदम कुमार जैन, ओमप्रकाश जैन एवं पंकज पोपटानी स्वयं उपस्थित।

::–निर्णय–:: **दिनांक: 10.06.2024**

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.06.2023 को समय 03:00 पीएम पर मैसर्स गोपाल किराणा स्टोर, बत्तीसी बाजार टोडारायसिंह जिला केकड़ी पर पहुंचा। वहां श्री पदम कुमार जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन अपने मैसर्स गोपाल किराणा स्टोर, बत्तीसी बाजार टोडारायसिंह जिला केकड़ी पर खाद्य पदार्थ गुड, तेल, घी, मसाले, मैदा, नमकीन–बिस्कट व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री पदम कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता होना स्वीकार किया तथा मौक पर खाद्य अनुज्ञा बिकी पत्र दिखाकर श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री हरकचंद जैन को उक्त फर्म का प्रोपरायटर होना बताया।

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

2. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड, तेल, घी, मसाले, मैदा, नमकीन–बिस्कट के साथ दुकान में प्लास्टिक के 1 कट्टे में लगभग 40 पैकेट पैक्ड अवस्था में प्रत्येक पैकेट 500–500 ग्राम **मैदा (कलश ब्राण्ड)** रखा हुआ था। इस **मैदा (कलश ब्राण्ड)** का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री पदम कुमार जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन को गवाह के सामने फार्म नं 05 ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री पदम कुमार जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

3. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान में गुड़, तेल, घी, शक्कर व मसाले के साथ दुकान में प्लास्टिक के 1 कट्टे में लगभग 40 पैकेट पैक्ड अवस्था में प्रत्येक पैकेट 500–500 ग्राम **मैदा (कलश ब्राण्ड)** में से **मैदा (कलश ब्राण्ड) के बैच नम्बर अनुपस्थित एवं पैकिंग की दिनांक अनुपस्थित थी**, को ज्यो का त्यों पैक्ड अवस्था में 500–500 ग्राम पैक के 4 मूल पैक पैकेट वास्ते नमूना जाँच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत पदम कुमार जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन को रू 80/– अक्षरे अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता श्री पदम कुमार जैन के हस्ताक्षर तथा उपस्थिति गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

4. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मैदा (कलश ब्राण्ड)** की खरीदशुदा 4 मूल पैक प्रत्येक 500–500 ग्राम पैक को ज्यों का त्यों एक–एक नग को नियमानुसार एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार चार भागों में तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर **डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3470** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मनोज पाटीदार तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खांकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर, प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3470 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर कारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें तथा गवाहों के हस्ताक्षर भी करवाए। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने कब्जें में लिया तथा इस समस्त कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर नमूना सील अंकित कर, गवाहों के सामने कारोबारकर्ता को पढ कर सुनाकर हस्ताक्षर करवाए।

5. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

6. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि श्री पदम कुमार जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन मैसर्स गोपाल किराणा स्टोर, बत्तीसी बाजार टोडारायसिंह जिला केकड़ी ने मौके पर बतोर वांरटी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया। इस बाबत प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्री पदम कुमार जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन मैसर्स गोपाल किराणा स्टोर, बत्तीसी बाजार टोडारायसिंह को पत्र कमांक /एफएसएसए/2023/221 दिनांक 21.03.2023 प्रेषित कर बतौर वांरटी खरीद बिल चाहा गया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारंटी मैसर्स किशन फ्लोर मिल नाई खेड़ा रोड़ केकड़ी का खरीद बिल कमांक /इन्वॉइस नं0 1060 दिनांक 14.02.2023 प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया।

7. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/636 दिनांक 15.03.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल.एस./426/एक्ट/2023/470 दिनांक 27.02.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया **मैदा (कलश ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **मिथ्याछाप (MisBranded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

8. हमने अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मैदा (कलश ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (MisBranded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा **(ii)** के अन्तर्गत अपराध तथा दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण पर शस्ति लगाया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii), एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49) का स्वीकार किया जाता है। अतः अप्रार्थी सं0 1 श्री पदम कुमार जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन व अप्रार्थी सं0 4 श्री पंकज पोपटानी पुत्र श्री दयानन्द पोपटानी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं0 1 पर कुल शास्ति रूपये 5,000/– (अक्षरे पाँच हजार रूपये) व अप्रार्थी सं0 4 पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 10.06.2024 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिनेश धाकड़)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी